स्मृति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :	उद्गम वेलफेयर फाउण्डेशन
संस्था का पता / Society's Address :	सी-4308, सेक्टर-12, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017,Lucknow,226017
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
संपर्क संख्या / Contact Number :	7017591602

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(ये उद्देश्य
बहुउद्देशीय ,
से सम्बंधित है)

1. जनसाधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक व शैक्षिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास करना एवं लोगों में देश प्रेम एवं वैचारिक सामन्जस्य का विकास करना।
2. ज्ञानवर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना एवं ज्ञान, कृषि एवं पशुपालन विज्ञान की जानकारी देना एवं पत्र पत्रिकाओं का निःशुल्क प्रकाशन करना।
3. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रतियोगात्मक शिक्षा तथा लोगों को कम्प्यूटरीकृत शिक्षण, तकनीकी शिक्षण, इलेक्ट्रानिक शिक्षण, सम्बन्धी लोगों को निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना।
4. आधुनिक शिक्षा के प्रसार हेतु प्ले गुरुप, नर्सरी, प्राइमरी पाठशाला, स्कूल, कालेज, आई0टी0आई0, फार्मेसी कालेज, एल0एल0बी0 कालेज, मदरसा, महाविद्यालय खोलना, मैनेजमेन्ट, मेडिकल, इन्जीनियरिंग, टेक्नीकल, सांस्कृतिक विद्यालय, हॉस्पिटल, प्रोफेशनल कालेजों की स्थापना व संचालन शासन की पूर्व अनुमति से करना।
5. कम्प्यूटर शिक्षा, इंटरनेट शिक्षा, आटो मोबाइल शिक्षा, मोबाइल शिक्षा, मिक्सिंग लैब, टाइप राइटिंग, शार्टहैण्ड रेफ्रिजरेशन व एअर कण्डीशन, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेबसाइट डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिशियन व आटो मैकेनिक ऐवियेशन आदि की शिक्षा व्यवस्था करना व फैशन डिजाइनिंग, इंटिरियर डिजाइनिंग, आधुनिक प्रचार माध्यमों आदि की रोजगारपरक निःशुल्क प्रशिक्षण देना देशभर में कुम्हारी कला के विकास हेतु सभी प्रकार के प्रयास करना।
6. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, योग कार्यक्रम, वाद-विवाद प्रतियोगिता जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविरों आदि का आयोजन करना।
7. महिलाओं/बालिकाओं/युवाओं का सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्पकला, ललितकला, संगीत गायन, वादन, नृत्य,अभिनय, सैलून, ब्यूटीशियन, ब्यूटी पार्लर, मेंहदी कोर्स, नाटक, कवि गोष्ठियों तथा संस्कृति के विकास, फैशन डिजाइनिंग, फैशन शो, चिकन,जरी, डाल मेकिंग, फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग, आफसेट प्रिंटिंग, पेन्टिंग, फूड मेकिंग, वाल पेन्टिंग, खादी एवं हस्त शिल्पकला, मिट्टी के बर्तन एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वालम्बन की भावना जागृत करना।
8. अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग तथा ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार परक निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण अथवा उनके उत्थान एवं कल्याण हेतु कार्य करना एवं दहेज रहित सामूहिक विवाह समारोहों को प्रोत्साहन देना।
9. पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, कुष्ठ उन्मूलन,दहेज उन्मूलन, हरियाली कार्यक्रम, जड़ी बूटी उगाना, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण कर लोगों को निःशुल्क परामर्श देना, कृषि विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण, प्रवर्धन तथा इससे आधारित सर्वे-सर्वेक्षण, सेमिनार, और गोष्ठी का आयोजन करना, प्रदूषण नियन्त्रण, प्रदूषण जांच केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना, ऊसर-बंजर भूमि सुधार, मृदा परीक्षण, जैविक तथा हर्बल खेती, बागवानी विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, सौर ऊर्जा एवं पशु-पक्षी, जीव-जन्तु संरक्षण, गौ संरक्षण, गौशाला, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण भूमि एवं जल प्रबन्धन एवं जल संचयन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध विकास, शाकाहारी आहार आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
10. जनहितार्थ चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, व्यायामशाला, योगशाला, पौशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, शिशु पालन गृह, बालबाड़ी, आंगनबाड़ी, आदि की स्थापना करना।
11. ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेयजल एवं जल व भूमि प्रबन्धन एवं कूड़ा प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।
12. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।
13. शैक्षिक विकास हेतु सभी प्रकार के विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना जिसमें प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की व्यवस्था शासन के मानक के अनुसार करना एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
14. परिवार कल्याण कार्यक्रम, टाइफाइड, टीकाकरण, पोलियो ड्राप, एस0टी0डी0, टी0बी0, हेपेटाइटिस बी, एच0आई0वी0 एड्स, चिकनपोक्स, कैंसर आदि जैसे भयंकर रोगों के निवारण हेतु एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर तथा फिजियाथेरेपी द्वारा निवारण, जनसंख्या नियंत्रण हेतु कार्यों का प्रचार प्रसार एवं जागरूक करना एवं महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, वेश्यावृति जैसी कुरीतियों, वृद्ध जनो की देखभाल करना, एवं सामाजिक दुष्प्रभावों का उन्मूलन निवारण हेतु शिविर कैम्पों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार करना तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ हो रहे दुर्व्यहार को रोकने का प्रयास करना तथा उन्हे स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना तथा गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा कैम्प लगाना।
15. समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अपार्ड, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, इपाकरा, निपसिड, सिफ्सा, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, राजीव गांधी फाउण्डेशन, नौराड, आक्सफेम इण्डिया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, सर्वशिक्षा अभियान, पचायती राज, मनरेगा, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, डिजिटल इण्डिया, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान, डी0आर0डी0ए0 विश्व स्वास्थ्य संगठन, मिड डे मिल, एन0एच0डी0सी0,

Rupesh. 2 Ragini Srivastava 3 Rupali Srivastava 4 [illegible]

5. S Chatterjee [illegible] 7 कमला देवी

अल्पसंख्यक विभाग उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उ0प्र0, स्वच्छ भारत, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, विकलांग कल्याण निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण परियोजनाओं विकलांग कल्याण कार्यक्रमों आदि का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।

16. समाज के विकलांगों, नेत्रहीनों, मजदूरों, बाल श्रमिक, महिला श्रमिक, कारीगरों, कृषकों,विधवाओं, मूक-बधिरों, वृद्धों अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों तथा पिछड़ी जातियों के कल्याण हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।

17. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, अन्त्याक्षरी, खेलकूद, वाद-विवाद प्रतियोगिता, सड़क सुरक्षा, पेयजल, सुलभ शौचालय, विधिक जागरूकता, कार्यक्रम व केन्द्र की स्थापना, उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम केन्द्र की स्थापना एवं प्रचार-प्रसार करना।

18. भाषा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा भाषाओं जैसे-हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, सिन्धी, बंगाली, भोजपुरी, साहित्यिक व सांस्कृतिक विकास एवं विलुप्त हो रहे लोकगीतों एवं लोकनृत्यों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा क्रियेटिव आर्ट, थियेटर आर्ट कारपेट का प्रचार प्रसार करना।

19. विकलॉग व्यक्तियों हेतु आवासीय विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, का संचालन, शासन की पूर्व अनुमति से करना तथा कृत्रिम अंग निर्माण संचालित करने हेतु विभिन्न विभागों मंत्रालयों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

20. अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों, दलितों एवं पिछड़ी जातियों के बच्चों एवं महिलाओं/पुरुषों के लिए बुटीक, ब्यूटी पार्लर, बुक बाइन्डिंग, कैन्टीन प्रबन्ध, सामुदायिक स्वास्थ्य, कम्प्यूटर, खाद्य प्रसंस्करण, हेयर एवं स्किन केयर, हथकरघा, बुनाई, शहद उत्पादन, मशरूम खेती, रेडीमेडी इम्ब्राइडरी, स्क्रीन प्रिन्टिंग, साफ्ट ट्वाय मेकिंग, टाइप शार्टहैण्ड, जरी क्राफ्ट एवं टेक्सटाइल्स, पैच वर्क, हैण्डीक्राफ्ट, टाई एवं इम्ब्राइडरी, लेस मेकिंग, लेस हैण्डमेकिंग, सिलाई-कढ़ाई, प्रशिक्षण संस्था द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें आत्म विश्वास एवं स्वावलम्बन की भावना जागृत करना तथा उन्हें आदर्श व चरित्रवान नागरिक बनाना।

21. समय-समय पर समाज के लोगों को स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बारे में शिविर लगाकर उपयोग जानकारी दिलाना एवं योग केन्द्र खोलकर लोगों को योगासन, प्राणायाम मुद्राएँ एवं क्रियाए आदि कराकर मन एकाग्रचित एवं तनाव रहित करना।

22. नर्सरी तैयार करवाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण करवाना एवं जड़ी बूटी/औषधीय पौधों की खेती/उगाने व विकास हेतु लोगों को जागरूक करना।

23. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ0प्र0, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रवृति एवं पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योग की स्थापना व उनका प्रचार-प्रसार करना।

24. ट्राईसम, आई.आर.डी., ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चलायी जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम स्वरोजगार योजना, व पंचायती राज विभाग, महिला कल्याण निगम, नेहरू युवा केन्द्र, द्वारा संचालित समस्त ग्रामीण-शहरी कार्यक्रमों का संचालन करना व विधिवत चहुमुखी विकास, प्रचार-प्रसार करना।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम , पता, पद एवम व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है / **Details of officie bearer and members of Management Committee :**

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर
1.	श्री रूपेश श्रीवास्तव	पुत्र श्री जयशंकर प्रसाद श्रीवास्तव	सी-4308, सेक्टर-12, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017	अध्यक्ष	समाजसेवा	9792461888		Rupesh
2.	श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव	पत्नी श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव	एल एस-2/562, सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, बेहटा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021	उपाध्यक्ष	समाजसेवा	7408753664		Ragini Srivastava
3.	श्रीमती रूपाली श्रीवास्तव	पत्नी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	554/821, छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226005	प्रबन्धक/ सचिव	समाजसेवा	7017591602		Rupali Srivastava
4.	श्रीमती सुनैना अस्थाना	पत्नी श्री रितेश श्रीवास्तव	सी-4308, सेक्टर-12, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा	8318910693		
5.	श्रीमती स्वाती चटर्जी	पत्नी श्री सुदीप्तो कुमार चटर्जी	स्वाती निवास, एल0आई0जी0-120, सेक्टर-जी, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021	संगठन मंत्री	समाजसेवा	7985076459		SChatterjee
6.	श्री जयशंकर प्रसाद श्रीवास्तव	पुत्र श्री आर0 एन0 श्रीवास्तव	सी-4308, सेक्टर-12, राजाजीपुरम, आवास विकास कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017	सदस्य	समाजसेवा	9450396069		
7.	श्रीमती कमला देवी	पत्नी श्री जय प्रकाश	2/307, जानकीपुरम कुर्सी रोड, सेक्टर-एच, थाना जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021	सदस्य	समाजसेवा	6306040655		कमला देवी

सभी लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / **List of all Entered Genral Body members' details**

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय

Rupesh. 2 Ragini Srivastava 3 Rupali Srivastava 4
5 6 7 कमला देवी

Scanned by Scanner Go

1.	श्री रूपेश श्रीवास्तव	पुत्र श्री जयशंकर प्रसाद श्रीवास्तव	सी-4308, सेक्टर-12, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017	समाजसेवा
2.	श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव	पत्नी श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव	एल एस-2/562, सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, बेहटा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021	समाजसेवा
3.	श्रीमती रूपाली श्रीवास्तव	पत्नी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	554/821, छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226005	समाजसेवा
4.	श्रीमती सुनैना अस्थाना	पत्नी श्री रितेश श्रीवास्तव	सी-4308, सेक्टर-12, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017	समाजसेवा
5.	श्रीमती स्वाती चटर्जी	पत्नी श्री सुदीप्तो कुमार चटर्जी	स्वाती निवास, एल0आई0जी0-120, सेक्टर-जी, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021	समाजसेवा
6.	श्री जयशंकर प्रसाद श्रीवास्तव	पुत्र श्री आर0 एन0 श्रीवास्तव	सी-4308, सेक्टर-12, राजाजीपुरम, आवास विकास कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017	समाजसेवा
7.	श्रीमती कमला देवी	पत्नी श्री जय प्रकाश	2/307, जानकीपुरम कुर्सी रोड, सेक्टर-एच, थाना जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021	समाजसेवा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है । दिनांक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

1 Rupesh 2 Ragini Srivastava 3 Rupali Srivastava 4
S Chatterjee
कमला देवी

Scanned by Scanner Go

नियमावली / Rules Of Association

ा का नाम / Society's Name :	उद्गम वेलफेयर फाउण्डेशन
ा का पता / Society's Address :	सी-4308, सेक्टर-12, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017,Lucknow,226017
ा का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
के संख्या / Contact Number :	7017591602

स्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's membership and class :

दस्यता का प्रकार / Membership Type	शुल्क / Fee	सदस्य बनाने की प्रक्रिया / Procedure of making Members
ाजीवन सदस्य / Life Time Member	5001	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे
ामान्य सदस्य / General Member	101	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निस्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे

सदस्यता की समाप्ति / Termination of Membership :

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर ।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर ।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।
7. नैतक अपराधों में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।

संस्था के अंग / Society's Parts :

1. साधारण सभा / General Body
2. प्रबंधकारिणी समिति/ Management Committee

साधारण सभा / General Body :

गठन / Formation :	साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य / Life Time Member, सामान्य सदस्य / General Member को मिलाकर किया जायेगा।
बैठके / Meetings :	साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैटक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है । असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा ।
सूचना अवधि / Notice period :	साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी ।
गणपूर्ति / Quorum :	साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।
विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General Meeting Date :	साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के २/३ सदस्यों के बहुमत द्वारा तय की जायेगी।
साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Duties of the General Body :	1 प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना। 2 संस्था का वार्षिक रिपौट पास करना। 3 संस्था का वार्षिक बजट पास करना। 4 संस्था के नियमों एवं विनियमों में २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन करना।

प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee :

गठन / Formation :	साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1, कोषाध्यक्ष-1, प्रबन्धक/ सचिव-1, संगठन मंत्री-1, सदस्य-2 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 7 होगी।
सूचना अवधि / Notice period :	प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना

Rupesh. 2 Pooja Srivastava 3 Rupali Srivastava 4
5 S Chatterjee 6 7 कमला देवी

Scanned by Scanner Go

बैठकें / Meetings :	72 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी । प्रबन्धककारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यक्तानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा ।
गणपूर्ति / Quorum :	प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।
प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :	1 संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना। 2 संस्था का वार्षिक बजट/वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। 3 संस्था के उद्देश्यो के पूर्ति के लिए दान अनुदान व चन्दा प्राप्त करना। 4 कृषि एवं कृषि उत्पादन से सम्बन्धित सभी विभागो ग्राम विकास विभाग पंचायती राज विभाग जिला पंचायत समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज सलाहकार बोर्ड सांस्कृतिक विभाग कपार्ट अवार्ड नाबार्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय खादी ग्रामोद्योग खादी बोर्डच्खादी कमीशन यूनीसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व बैंक यूनेस्को शिक्षा विभाग/मंत्रालय राजीव गाँधी फाउण्डेशन अब्दुल कलाम आजाद फाउण्डेशन सिडबी सूडा डूडा परिवहन विभाग परिवहन मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय शिक्षा विभाग खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व आयोग, सूडा, डूडा, पर्यावरण मंत्रालय शिक्षा विभाग खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व आयोग समाजसेवी संस्थाओं सांसद निधि विधायक निधि, जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य ब्लाक प्रमुख ग्राम प्रधान एवं अन्य श्रोतो से अनुदान एवं दान चन्दा सरकारी एवं अर्द्धसरकारी तथा बैंको से ऋण प्राप्त करके उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना। 5 संस्था की शाखाओं/उपसमितियों एवं महिला समूहों मानव सेवा केन्द्र का गठन करना और उस पर नियन्त्रण रखना।
रिक्त स्थानों की पूर्ति / Fill blank seats :	प्रबंधकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी ।
कार्यकाल / Tenure :	प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5साल का होगा ।
प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया/ Election Procedure of Management Committee by General Body :	प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन प्रजातान्त्रिक पद्धति से किया जायेगा

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :

अध्यक्ष	1.	1 सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना। 2 बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन या परिवर्धन करना एवं बैठकों को स्थगित करना। 3 समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना। 4 बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना। 5 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
उपाध्यक्ष	2.	1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करना एवं उनके कार्यों में सहयोग देना।
प्रबन्धक/ सचिव	3.	1 संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप मे कार्य करना। 2 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्यवाही करना। 3 संस्था के कार्यों का प्रचार प्रसार करना। 4 संस्था की स्मारक एवं सम्पूर्ण सम्पति की देख रेख करना एवं उसकी सुरक्षा करना तथा चल अचल सम्पति का क्रय विक्रय करना। 5 संस्था की उन्नति एवं विकास का हर सम्भव प्रयास करना। 6 संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा मुक्ति करना तथा निष्कासन का कार्य करना। 7 बिल बाउचरों आहरण पत्रों संविदा पत्रों चेक आदि पर हस्ताक्षर करना तथा व्यय की अनुमति देना। 8 संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना। 9 पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति प्रदान करना। 10 पिछली कार्यवाही को बैठक में पढ़कर सुनाना। 11 समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना। 12 संस्था के पक्ष-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना। 13 सदस्यों का नाम सदस्यता रजिस्टर पर नोट करना। 14 कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना। 15 समय समय पर संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संगठित करना।
संगठन मंत्री	4.	1 समय समय पर संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संगठित करना।
कोषाध्यक्ष	5.	1 प्रबन्धक/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना। 2 आय व्यय का लेखा-जोखा रखना। 3 सदस्यों के दान-चन्दा, अनुदान एवं अन्य स्रोतों से धन प्राप्त कर यथाविधि रसीदें देना व बैंक में जमा कराना।
सदस्य	6.	1 संस्था के क्रिया कलापो को जन सामान्य में प्रचारित करने हेतु अभियान चलाकर प्रचार प्रसार करना एवं अन्य समाचार एवं मीडिया के माध्यम से संस्था के उद्देश्यों की जानकारी देना 2 संस्था के अध्यक्ष, प्रबन्धक सचिव एवं अन्य समस्त पदाधिकारियों के कार्य मे सहयोग करना।

था का कोष / Society's Account Access Details:

पदाधिकारी/Post
अध्यक्ष
प्रबन्धक/ सचिव

Scanned by Scanner Go

आय के स्रोत / **Source of Income**

1. Foreign Grants
2. Government Donation
3. Government Loan
4. Maintenance amount
5. Mebership Fee
6. Other Sources
7. Remittance
8. Self Money Generation

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया / **Society's Rules and Regulations Revision Process :**

साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा / Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General body's members.

संस्था का कोष/ **Society's Account Details:**

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शिड्यूल्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस,या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जाएगा , जिसका संचालन अध्यक्ष एवम प्रबन्धक/ सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा |

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्व| / **Responsibility for court operations of the society by or against :**

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/सचिव पर होगा या उनके द्वारा अधिकृत अन्य किसी भी व्यक्ति पर होगा।

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण(ऑडिट) / **Budget Audit :**

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ओडिटर द्वारा कराया जायेग / The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था के अभिलेख / **Society's records :**

1. सदस्यता रजिस्टर / Membership Register.
2. कार्यवाही रजिस्टर / Proceedings Register.
   a) साधारण सभा / Genearal Body.
   b) कार्यकारी निकाय / Executive Body.
3. स्टाक रजिस्टर / Stock Register.
4. लेजर बुक / Ledger Book.
5. कैश बुक / Cash Book.
6. सदस्यता शुल्क रसीद बुक / Membership fee receipt book.
7. दान रसीद बुक / Donate receipt book.

विघटन / **Dissociation :**

संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट की धरा १३ व १४ के अंतर्गत की जाएगी / Society dissociation and termination will be according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.

दिनॉक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

Scanned by Scanner Go

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ

तृतीय तल, विकासदीप, २२, स्टेशन रोड

ालान समापन विवरण / Transaction completion Details

Completed Transaction

Society/Firm ID: **10024380**

Bank Ref. Number : **IK0AGGRIS7**

Status : **Success**

Description : **Completed successfully.**

Challan Number : **ASA190015883**

Amount Transacted : **2000**

Bank : **0001**

Home

ntent on this website is published and managed by Registrar Firms, Societies and Chits, Government of UP, Every effort has been made to ensure accuracy of data on this web site. However these
e verified by and supplemented with documents issued finally by the concerned authorities. NIC will not be responsible for any decision or claim that is based on the basis of displayed data.

Scanned by Scanner Go

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्रम सं0	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवस
1	श्री रूपेश श्रीवास्तव पुत्र श्री जयशंकर प्रसाद श्रीवास्तव	सी–4308, सेक्टर–12, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226017, 9792461888	अध्यक्ष	समाज
2	श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव पत्नी श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव	एल एस–2/562, सेक्टर–एफ, जानकीपुरम, बेहटा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226021, 7408753664	उपाध्यक्ष	समाज
3	श्रीमती रूपाली श्रीवास्तव पत्नी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	554/821, छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226005, 7017591602	प्रबन्धक/ सचिव	समाज
	श्रीमती सुनैना अस्थाना पत्नी श्री रितेश श्रीवास्तव	सी–4308, सेक्टर–12, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226017, 8318910693	कोषाध्यक्ष	समाज
	श्रीमती स्वाती चटर्जी पत्नी श्री सुदीप्तो कुमार चटर्जी	स्वाती निवास, एल0आई0जी0–120, सेक्टर–जी, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226021, 7985076459	संगठन मंत्री	समा
	श्री जयशंकर प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र श्री आर0 एन0 श्रीवास्तव	सी–4308, सेक्टर–12, राजाजीपुरम, आवास विकास कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226017, 9450396069	सदस्य	समा
	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जय प्रकाश	2/307, जानकीपुरम कुर्सी रोड, सेक्टर–एच, थाना जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226021, 6306040655	सदस्य	समा

हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते है कि हमने इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत समिति का गठन किया है।

हस्ताक्षर

Scanned by Scanner Go

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : उद्गम वेलफेयर फाउण्डेशन
2. संस्था का पता : सी–4308, सेक्टर–12, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226017
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य :

1. जनसाधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक व शैक्षिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास करना एवं लोगों में देश प्रेम एवं वैचारिक सामन्जस्य का विकास करना।
2. ज्ञानवर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना एवं ज्ञान, कृषि एवं पशुपालन विज्ञान की जानकारी देना एवं पत्र पत्रिकाओं का निःशुल्क प्रकाशन करना।
3. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रतियोगात्मक शिक्षा तथा लोगों को कम्प्यूटरीकृत शिक्षण, तकनीकी शिक्षण, इलेक्ट्रानिक शिक्षण, सम्बन्धी लोगों को निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना।
4. आधुनिक शिक्षा के प्रसार हेतु प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्राइमरी पाठशाला, स्कूल, कालेज, आई0टी0आई0, फार्मेसी कालेज, एल0एल0बी0 कालेज, मदरसा, महाविद्यालय खोलना, मैनेजमेन्ट, मेडिकल, इन्जीनियरिंग, टेक्नीकल, सांस्कृतिक विद्यालय, हॉस्पिटल, प्रोफेशनल कालेजों की स्थापना व संचालन शासन की पूर्व अनुमति से करना।
5. कम्प्यूटर शिक्षा, इंटरनेट शिक्षा, आटो मोबाइल शिक्षा, मोबाइल शिक्षा, मिक्सिंग लैब, टाइप राइटिंग, शार्टहैण्ड रेफ्रिजरेशन व एअर कण्डीशन, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेबसाइट डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिशियन व आटो मैकेनिक ऐवियेशन आदि की शिक्षा व्यवस्था करना व फैशन डिजाइनिंग, इंटिरियर डिजाइनिंग, आधुनिक प्रचार माध्यमों आदि की रोजगारपरक निःशुल्क प्रशिक्षण देना देशभर में कुम्हारी कला के विकास हेतु सभी प्रकार के प्रयास करना।
6. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, योग कार्यक्रम, वाद–विवाद प्रतियोगिता जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविरों आदि का आयोजन करना।
7. महिलाओं / बालिकाओं / युवाओं का सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्पकला, ललितकला, संगीत गायन, वादन, नृत्य,अभिनय, सैलून, ब्यूटीशियन, ब्यूटी पार्लर, मेंहदी कोर्स, नाटक, कवि गोष्ठियों तथा संस्कृति के विकास, फैशन डिजाइनिंग, फैशन शो, चिकन,जरी, डाल मेकिंग, फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिटिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग, आफसेट प्रिटिंग, पेन्टिग, फूड मेकिंग, वाल पेन्टिग, खादी एवं हस्त शिल्पकला, मिट्टी के बर्तन एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वॊलम्बन की भावना जागृत करना।
8. अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग तथा ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार परक निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण अथवा उनके उत्थान एवं कल्याण हेतु कार्य करना एवं दहेज रहित सामूहिक विवाह समारोहों को प्रोत्साहन देना।
9. पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, कुष्ठ उन्मूलन,दहेज उन्मूलन, हरियाली कार्यक्रम, जड़ी बूटी उगाना, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण कर लोगों को निःशुल्क परामर्श देना, कृषि विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण, प्रवर्धन तथा इससे आधारित सर्वे–सर्वेक्षण, सेमिनार, और गोष्ठी का आयोजन करना, प्रदूषण नियन्त्रण, प्रदूषण जांच केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना, ऊसर–बंजर भूमि सुधार, मृदा परीक्षण, जैविक तथा हर्बल खेती, बागवानी विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, सौर ऊर्जा एवं पशु–पक्षी, जीव–जन्तु संरक्षण, गौ संरक्षण, गौशाला, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण भूमि एवं जल प्रबन्धन एवं जल संचयन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध विकास, शाकाहारी आहार आदि कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।
10. जनहितार्थ चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, व्यायामशाला, योगशाला, पौशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, शिशु पालन गृह, बालबाड़ी, आंगनबाड़ी, आदि की स्थापना करना।
11. ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेयजल एवं जल व भूमि प्रबन्धन एवं कूड़ा प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार व संचालन करना।
12. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

SChatterjee

Scanned by Scanner Go

13. शैक्षिक विकास हेतु सभी प्रकार के विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना जिसमें प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की व्यवस्था शासन के मानक के अनुसार करना एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
14. परिवार कल्याण कार्यक्रम, टाइफाइड, टीकाकरण, पोलियों ड्राप, एस0टी0डी0, टी0बी0, हेपेटाइटिस बी, एच0आई0वी0 एड्स, चिकनपॉक्स, कैंसर आदि जैसे भयंकर रोगों के निवारण हेतु एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर तथा फिजियाथेरेपी द्वारा निवारण, जनसंख्या नियंत्रण हेतु कार्यो का प्रचार प्रसार एवं जागरूक करना एवं महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, वैश्यावृत्ति जैसी कुरीतियों, वृद्ध जनो की देखभाल करना, एवं सामाजिक दुष्प्रभावों का उन्मूलन निवारण हेतु शिविर कैम्पों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार करना तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ हो रहे दुर्व्यहार को रोकने का प्रयास करना तथा उन्हे स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना तथा गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा कैम्प लगाना।
15. समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, ड्वाकरा, निपसिड, सिफ्सा, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, राजीव गांधी फाउण्डेशन, नौराड, आक्सफेम इण्डिया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, सर्वशिक्षा अभियान, पचायती राज, मनेरेगा, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, डिजिटल इण्डिया, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान, डी0आर0डी0ए0 विश्व स्वास्थ्य संगठन, मिड डे मिल, एन0एच0डी0सी0, अल्पसंख्यक विभाग उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उ0प्र0, स्वच्छ भारत, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, विकलांग कल्याण निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण परियोजनाओं विकलांग कल्याण कार्यक्रमों आदि का प्रचार–प्रसार व संचालन करना।
16. समाज के विकलांगों, नेत्रहीनों, मजदूरों, बाल श्रमिक, महिला श्रमिक, कारीगरों, कृषकों,विधवाओं, मूक–बधिरों, वृद्धों अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों तथा पिछड़ी जातियों के कल्याण हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार व संचालन करना।
17. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, अन्त्याक्षरी, खेलकूद, वाद–विवाद प्रतियोगिता, सड़क सुरक्षा, पेयजल, सुलभ शौचालय, विधिक जागरूकता, कार्यक्रम व केन्द्र की स्थापना, उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम केन्द्र की स्थापना एवं प्रचार–प्रसार करना।
18. भाषा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा भाषाओं जैसे–हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, सिन्धी, बंगाली, भोजपुरी, साहित्यिक व सांस्कृतिक विकास एवं विलुप्त हो रहे लोकगीतों एवं लोकनृत्यों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा क्रियेटिव आर्ट, थियेटर आर्ट कापरेट का प्रचार प्रसार करना।
19. विकलॉग व्यक्तियों हेतु आवासीय विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, का संचालन, शासन की पूर्व अनुमति से करना तथा कृत्रिम अंग निर्माण संचालित करने हेतु विभिन्न विभागों मंत्रालयों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
20. अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों, दलितों एवं पिछड़ी जातियों के बच्चों एवं महिलाओं/पुरूषों के लिए बुटीक, ब्यूटी पार्लर, बुक बाइन्डिंग, कैन्टीन प्रबन्ध, सामुदायिक स्वास्थ्य, कम्प्यूटर, खाद्य प्रसंस्करण, हेयर एवं स्किन केयर, हथकरघा, बुनाई, शहद उत्पादन, मशरूम खेती, रेडीमेडी इम्ब्राइडरी, स्क्रीन प्रिन्टिंग, साफ्ट ट्वाय मेकिंग, टाइप शार्टहैण्ड, जरी क्राफ्ट एवं टेक्सटाइल्स, पैच वर्क, हैण्डीक्राफ्ट, टाई एवं इम्ब्राइडरी, लेस मेकिंग, लेस हैण्डमेकिंग, सिलाई–कढ़ाई, प्रशिक्षण संस्था द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें आत्म विश्वास एवं स्वावलम्बन की भावना जागृत करना तथा उन्हें आदर्श व चरित्रवान नागरिक बनाना।
21. समय–समय पर समाज के लोगों को स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बारे में शिविर लगाकर उपयोग जानकारी दिलाना एवं योग केन्द्र खोलकर लोगों को योगासन, प्राणायाम मुद्राएँ एवं क्रियाए आदि कराकर मन एकाग्रचित्त एवं तनाव रहित करना।
22. नर्सरी तैयार करवाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण करवाना एवं जड़ी बूटी/औषधीय पौधों की खेती/उगाने व विकास हेतु लोगों को जागरूक करना।
23. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ0प्र0, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रवृत्ति एवं पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योग की स्थापना व उनका प्रचार–प्रसार करना।
24. ट्राईसम, आई.आर.डी., ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चलायी जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम स्वरोजगार योजना, व पंचायती राज विभाग, महिला कल्याण निगम, नेहरू युवा केन्द्र, द्वारा संचालित समस्त ग्रामीण–शहरी कार्यक्रमों का संचालन करना व विधिवत चहुमुखी विकास, प्रचार–प्रसार करना।

5. SChatterjee

Scanned by Scanner Go

Scanned by Scanner Go

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 08.09.2019 की आम सभा की बैठक रूपेश श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता मे पता–सी–4308, सेक्टर–12, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226017 में अपराहन 10.30 बजे आयोजित की गयी जिसमें उपस्थित लोगों के समक्ष निम्नवत् कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव नं0–1
संस्था का नाम व पता उक्त रखने पर विचार –

रागिनी श्रीवास्तव ने प्रस्ताव रखा कि एक संस्था का गठन किया जाये **संस्था का नाम–उद्‌गम वेलफेयर फाउण्डेशन, पता–सी–4308, सेक्टर–12, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226017** होगा। इस प्रस्ताव का समर्थन रूपाली श्रीवास्तव ने किया इस प्रकार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव नं0–2
संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का गठन किये जाने पर विचार –

सुनैना अस्थाना ने प्रस्ताव रखा कि संस्था को संचालित कराने हेतु पदाधिकारियों एवं सदस्यो का गठन किया जाये जिनके नाम निम्नवत् है–

क्र0 सं0	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री रूपेश श्रीवास्तव	अध्यक्ष	Rupesh
2.	श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव	उपाध्यक्ष	Ragini Srivastava
3.	श्रीमती रूपाली श्रीवास्तव	प्रबन्धक / सचिव	Rupali Srivasta
4.	श्रीमती सुनैना अस्थाना	कोषाध्यक्ष	Sinha
5.	श्रीमती स्वाती चटर्जी	संगठन मंत्री	S Chatterjee
6.	श्री जयशंकर प्रसाद श्रीवास्तव	सदस्य	Srivastava
7.	श्रीमती कमला देवी	सदस्य	कमला देवी

इसके बाद संस्था के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किये, तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की।

Scanned by Scanner Go

हस्ताक्षर

1 Rupesh

2 Rajiv Srivastava

3 Rupali Srivastava

4 [illegible]

5 S Chatterjee

6 Srivastava

7 कमला देवी

Scanned by Scanner Go